

**प्रेस नोट संख्या-01**

**दिनांक 04.05.2025**

**सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस**

**“नशा मुक्त अमेठी अभियान” के अन्तर्गत थाना गौरीगंज पुलिस द्वारा 53 ग्राम स्मैक के साथ 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार ।**

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्रीमती अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री हरेन्द्र कुमार के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी गौरीगंज श्री अखिलेश वर्मा के कुशल नेतृत्व में “नशा मुक्त अमेठी अभियान” के अन्तर्गत दिनांक 04.05.2025 को थाना गौरीगंज पुलिस द्वारा तलाश वांछित, देखभाल क्षेत्र व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन के दौरान मोटरसाइकिल सवार अभियुक्त 01. मनीष यादव उर्फ कल्लू यादव पुत्र रामऔतार यादव निवासी सुन्दरपुर थाना व जनपद अमेठी उम्र करीब 28 वर्ष व 2. नरेन्द्र बहादुर यादव उर्फ वकील पुत्र रामनाथ यादव निवासी ग्राम जमुनिया थाना डीह जनपद रायबरेली उम्र करीब 45 वर्ष हालपता म0नं0 455/19 सोनियानगर थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली को कस्बा गौरीगंज से समय करीब 03.35 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया । मोटरसाइकिल के कागज मांगने पर दिखा न सके । तलाशी से अभियुक्त मनीष यादव के पास से 27 ग्राम स्मैक व अभियुक्त नरेन्द्र बहादुर यादव के पास से 26 ग्राम स्मैक बरामद हुआ । दोनों ही अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं । अभियुक्त मनीष यादव के विरुद्ध जनपद अमेठी के थाना मुसाफिरखाना पर हत्या एवं अभियुक्त नरेन्द्र यादव के विरुद्ध जनपद रायबरेली के विभिन्न थानों पर हत्या व अन्य गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत है । गिरफ्तारी व बरामदगी के संबन्ध में थाना गौरीगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-**

1. मनीष यादव उर्फ कल्लू यादव पुत्र रामऔतार यादव निवासी सुन्दरपुर थाना व जनपद अमेठी उम्र करीब 28 वर्ष ।
2. नरेन्द्र बहादुर यादव उर्फ वकील पुत्र रामनाथ यादव निवासी ग्राम जमुनिया थाना डीह जनपद रायबरेली उम्र करीब 45 वर्ष हालपता म0नं0 455/19 सोनियानगर थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली ।

**बरामदगी-**

- कुल 53 ग्राम स्मैक ।

**पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-**

1. मु0अ0सं0 144/25 धारा 8/18/22 एनडीपीएस एक्ट थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
2. हीरो स्पेलण्डर मोटरसाइकिल नं0 यूपी 33 एस 6158 (207 एमवी एक्ट )

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

1. श्री श्याम नारायण पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
2. उ0नि0 इन्द्रेश कुमार थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
3. का0 रवि कुमार थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।
4. का0 प्रदीप कुमार यादव थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।

**अभियुक्त मनीष यादव का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 30/23 धारा 120बी,147,148,149,201,302,307,34,427 भादवि थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।
2. मु0अ0सं0 43/24 धारा 2(b)(i) , 3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।

**अभियुक्त नरेन्द्र बहादुर यादव उर्फ वकील का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 562/06 धारा 307,393 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली ।
2. मु0अ0सं0 87/12 धारा 380,411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली ।
3. मु0अ0सं0 276/12 धारा 394,411,420,467,468,471 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली ।
4. मु0अ0सं0 732/12 धारा 2/3 यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली ।
5. मु0अ0सं0 368/22 धारा 323,506 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली ।
6. मु0अ0सं0 498/08 धारा 120बी,302 भादवि थाना डीह जनपद रायबरेली ।
7. मु0अ0सं0 507/06 धारा 307 भादवि थाना डीह जनपद रायबरेली ।
8. मु0अ0सं0 702/11 धारा 147,148,149,352,427,504,506 भादवि थाना डीह जनपद रायबरेली ।
9. मु0अ0सं0 90/06 धारा 307 भादवि थाना भदोखर जनपद रायबरेली ।
10. मु0अ0सं0 150/06 धारा 327,341,504 भादवि थाना भदोखर जनपद रायबरेली ।